

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

श्री प्रभुलाल विपक्षी मोहनी शाह
 स.स. मुकदमा 212 एन.सी पत्रावली संख्या 56/21 सन _____

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	इस्ताखार पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	--

09/06/25

पत्रावली पेक्षा कुई। अधिवक्ता पार्टी मय पार्टी अनुपस्थित। अधिवक्ता पार्टी मय पार्टी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी विपक्षी सं. 2 के नोटिस रजि. एडी. से करा रसीद पेक्षा नहीं की। इससे यह प्रतीत होता है कि अधिवक्ता पार्टी एवं स्वयं पार्टी अपने वाद के प्रति सजग नहीं है तथा मात्र न्यायालय का समय व्यर्थ किया जा रहा है। आज भी पार्टी व उनके अधिवक्ता सब एक अनुपस्थित है। अतः अधिवक्ता पार्टी मय पार्टी अनुपस्थित रहने पर पार्टी का प्रार्थना पत्र अदालत हाजरी अदालत फैंची में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय चुले न्यायालय खुनाथा गया।



**सहायक कलक्टर
(SDO) मावली**

